(56)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल (ग्वालियर) भोपाल म.प्र.

R-1380-II/13

रिवीजन क्र......./2013

5. ब्रजमोहन पुत्र स्व. सूरजमल खत्री
6. श्रीमति आशादेवी पत्नी बृजमोहन खत्री

निवासी छीपापुर कस्बा सीहोर .... रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

7. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाली
8. सुभाष चंद्र पुत्र सूरजमल खत्री,
9. श्रीमति मधु देवी पत्नी सुभाषचन्द्र

निवासी छीपापुर कस्बा सीहोर .... उत्तरदातागण

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग, भोपाल

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्र. 285/अपील/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 13.2.2013 से व्यथित होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष समयअवधि मे प्रस्तुत है :-

रिवीजनकर्ता की ओर से माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है :-

प्रकरण के तथ्य

यह कि उत्तरदाता क्र. 1 व 2 ने एक आवेदनपत्र तहसील न्यायालय सीहोर मे प्रस्तुत किया कि कस्बा सीहोर ईदगाह के पास स्थित कृषि भूमि जिसका खसरा क्र. 270 रकबा 1.785 हेक्टेयर एवं खसरा क्र. 280 रकबा 2.521 हेक्टेयर पर संयुक्त रूप से काबिज होकर खेती कर रहे है। रिवीजनकर्ता कस्बा सीहोर भूमि खसरा क्रमांक 279/1 रकबा 2.084 हेक्टर एवं खसरा क्र. 279/2 रकबा 2.094 हेक्टेयर भूमि का संयुक्त रूप से भूमिस्वामी है। उक्त जमीन मे से उत्तरदाता को आने जाने का रास्ता था जो उसके व्दारा अवरूद्ध कर दिया है। उक्त रास्ते की भूमि को हक जोतकर खेत बना दिया गया है जिसे खुलवाया जाये। तहसील न्यायालय सीहोर व्दारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गयी एवं दिनांक 30.9.2009 को उत्तरदाता के खेत पर जाने के लिये अपीलार्थी की कृषि भूमि 279/1 एवं 279/2 की उत्तरी मेड से होकर जाने वाले रास्ते पर कोई अवरोध उत्पन्न न करे ।

यह कि अपीलार्थी ने माननीय तहसीलदार महोदय सीहोर व्दारा प्र.क्र. 03/अ-13/05-06 मे पारित आदेश दिनांक 30.9.2009 के विरूद्ध एक अपील अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के न्यायालय मे प्रस्तुत की । माननीय अनुविभागीय अधिकारी ने प्र0क्र0 05/अपील/09-10 मे आदेश दिनांक 10.1.2011 से तहसीलदार महोदय का आदेश निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध उत्तरदाता ने एक द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के यहाँ प्रस्तुत की जिसका प्र.क्र. 285/अपील/10-11 है । जिसमे दिनांक 13.2.2013 को आदेश कर माननीय अपर आयुक्त महोदय व्दारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीहोर के आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार का आदेश विधिसंगत होने से यथावत रखते हुए अपील स्वीकार कर ली । माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के आदेश से व्यथित होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की है ।

R- 1380-III/13 जिला- सीहोर -

— 2 —

12/9/17 भोपाल	आवेदक अभि० का -कीलाल- वकील की आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं अनुपस्थित होने से कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है [illegible]	Dhakar

[कृ. प. उ.